न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील इन्तकाल संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/127/19	15–10–2019	04–11–2019

1. शकुन्तला देवी स्त्री बृजमोहन पुत्री किस्तुरी देवी बेवा मगन लाल जाति सोनी निवासी बडेरिया पाडी, अलवर हाल वासी ग्राम हरसोरा तहसील बानसूर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र बनवारी लाल जाति सोनी निवासी बडेरिया पाडी दाउजी के मन्दिर के पास अलवर।
2. तहसीलदार भू0अ0 अलवर।

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर दिनांक 12.04.17 बाबत इन्तकाल सं0 1046 वाके ग्राम डढीकर तहसील अलवर जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री उमा शंकर खण्डेलवाल –वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 12.04.17 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 1046 वाके ग्राम डढीकर तहसील अलवर जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रैस्पा0 वकील वक्त बहस उपस्थित नही। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रैस्पाव सं0 1 ने एक राजस्व वाद संख्या 1/148 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अलवर की न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 15.7.2010 को रैस्पा0 सं0 1के हक में हो गया था जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत कर रखी है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। इस प्रकार न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2010 आज की तारीख में अन्तिम निर्णय नहीं है। विवादित आराजी पर रैस्पा0 सं0 1 का कोई वास्त व सरोकार नही है, रैस्पा0 सं0 1 ने गलत तथ्यो के आधार पर कानून, खिलाफ मौका व रिकार्ड खातेदार मृतक कस्तुरी देवी के पति मगन लाल का फर्जी दत्तक पुत्र बनकर अपना वाद डिक्री करा लिया, मृतक मगन लाल व मृतक किस्तुरी देवी ने कभी भी रैस्पा0 सं01 को गोदन नही लिया था। तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया है उस निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील विचाराधीन है। तहत अदालत ने बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना कोई नोटिस जारी किये मात्र दो दिन में ही अपना अपीलीय निर्णय पारित कर दिया। विवादित आराजी दिनांक 01.08.1964 को मगन लाल पुत्र ग्यारसी लाल सोनी को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के कारण पुर्नवास योजना के तहत आवंटन की गई थी

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

तब से ही आराजी का खातेदार काश्तकार था। मगन लाल की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया और कोई संतान नही थी, दूसरी शादी किस्तुरी देवी से कर ली किस्तुरी देवी ने पहले हीरा लाल से शादी की थी जिसके नूत्फे से अपीलान्ट हुई थी। हीरा लाल के निधन के बाद अपीलान्ट की माता किस्तुरी देवी के साथ मगन लाल के साथ रहने लग गई जिसका लालन पालन मगन लाल व किस्तुरी देवी ने ही किया था। मगन लाल की मृत्यु के पश्चात उसके विरासत का नामान्तकरण किस्तुरी देवी के नाम हो गया था, तथा किस्तुरी देवी की सेवा व क्रिया कर्म भी अपीलान्ट ने ही की थी। अपीलान्ट ने राजस्व वाद रैस्पा0 के विरूद्व उप खण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रैस्पा0 सं0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबन्द किया हुआ था जो वाद दिनांक 28.11.16 को अदम पैरवी में खारिज हो गया था जिससे पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। रेस्पा0 सं01 विवादित आराजी में अपना हित मृतक मगन लाल का दत्तक पुत्र बताकर बताया है पूर्व में अपीलान्ट के पास सक्षम सबूत नही थे अब दिनांक 10.5.18 को रेस्पा0 सं01 की स्कूल से दस्तावेज प्राप्त किये जिनमें रेस्पा के पिता का नाम बनवारी लाल सोनी अंकित है। तहत अदालत में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया था तथा विवादित आराजी में उसका हित निहित है जिसके अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत के अपीलीय आदेश को निरस्त फरमाया जावें। अपने कथन की पुष्टी में आर0आर.डब्लू0 1985 पेंज 170, आर0आर0डब्लू0 1992 पेंज 304, आर0बी0जे0 (20) 2013 पेंज 77, आर0आर0टी0 (2) पेंज 1348 की नजीरें पेश की गई।

विद्वान वकील रेस्पा0 सं01 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय आदेश उप खण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.10 की अनुपालन में तहत अदालत द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया है। उप खण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 15.7.10 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.5.15 को अपील खारिज की गई और उप खण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय को यथावत रखा गया था। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 18.4.17 द्वारा तहत अदालत को नामान्तकरण बाबत की जा रही कार्यवाही को स्थगित रखा गया है, जबकि नामान्तकरण की कार्यवाही तहत अदालत द्वारा दिनांक 12.04.17 को दर्ज व स्वीकार किया जा चुका है, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश का अपीलीय आदेश पर कोई प्रभाव नहीं रहा है। तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण मुताबिक इजराय की पालना में सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार दर्ज व स्वीकार किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पर विचार किया। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही थे। विवादित आराजी में हित निहित है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पेश कर जाहिर किया कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत कर रखी है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। इस प्रकार न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2010 आज की तारीख में अन्तिम निर्णय नहीं है। विवादित आराजी पर रैस्पा0 सं0 1 का कोई वास्त व सरोकार नही है, रैस्पा0 सं0 1 ने गलत तथ्यो के आधार पर कानून, खिलाफ मौका व रिकार्ड खातेदार मृतक कस्तुरी देवी के पति मगन लाल का फर्जी दत्तक पुत्र बनकर अपना वाद डिक्री करा लिया, मृतक मगन लाल व मृतक किस्तुरी देवी ने कभी भी रैस्पा0 सं01 को गोदन नही लिया था। तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया है उस निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील विचाराधीन है। तहत अदालत ने बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना कोई नोटिस जारी किये मात्र दो दिन में ही अपना अपीलीय निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.4.2017 एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहत अदालत ने उप खण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 15.7.2010 की पालना में अपीलीय आदेश दिनांक 12.4.2017 को दर्ज व स्वीकार किया गया है, जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 18.4.17 में तहत अदालत को नामान्तकरण की कार्यवाही आगामी पेशी तक स्थगित रखी गई है जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश से पूर्व ही विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया जा चुका है। अपीलान्ट ने भी ऐसी कोई सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति पेश नहीं कि जिससे जाहिर होता हो कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में हो। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 12–04–2017 बाबत इंतकाल संख्या 1046 वाके ग्राम डढीकर तहसील अलवर जिला अलवर यथावत् रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ तहत अदालत को भिजवाया जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)